कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर

पत्रांक : 928 दिनांक : 3-5-18

प्रेषित :

1. श्री महेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 झमन सिंह
2. श्रीमती कान्ती देवी, पति– नवल किशोर राय
3. श्री नवल किशोर राय, पिता– स्व श्याम नन्दन राय
   मोहल्ला– मकसदपुरा, हाजीपुर।

आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण अनुमति से संबंधित आवेदन सं0 470 दिनांक 10.03.2018 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भवन के स्थल का क्षेत्र फल 1015.44 वर्ग मीटर है।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के संकल्प सं0 सह पठित ज्ञापांक 937 दिनांक 11.04.2018 के आलोक में उक्त भवन के स्वीकृति हेतु आश्रय निधि के रूप में निम्नवत राशि भुगतेय है।

1015.44 × 10% × 250 रू0 = 25386 रू0

अतः सेल्टर फन्ड बिहार, पटना के नाम 25386 रू0 का डिमांड ड्राफ जो पटना में भुगतेय हो जमा करना सुनिश्चित करें ताकी भवन निर्माण अनुमति से संबंधित अग्रेतर कार्यवाई की जा सके।

03.05.18
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, हाजीपुर

3-5-18

Scanned by CamScanner

फारम - VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या - 8(4)

आपके आवेदन संख्या - 470, तिथि - 10-3-18 के संदर्भ में श्रीमती/श्री (1) महेन्द्र सिंह पिता स्व० [illegible] (2) [illegible] के लिए

(क) ..... 13+0+4 भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

..... हाजीपुर नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित ..... [illegible] विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के [illegible] प्लॉट न० (सी०एस०) 188, 189, प्लॉट न० (एम०एस०पी०) ...x..., खाता न० 122, 310 होल्डिंग नं० ...1..., गाँव ...x..., मोहल्ला [illegible], वार्ड न० ...08... के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से [illegible] प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया ...657.68... वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि ...70 फीट 22... मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ ..... हाजीपुर ..... नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में ...x... मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, हाजीपुर

10-5-18

ज्ञापांक सं० ..... 116 ....., दिनांक ..... 10-5-18 .....

प्रतिलिपि : अनुमोदित योजनाओं की ..... 03 ..... प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री ..... को

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, हाजीपुर

10-5-18

Scanned by CamScanner

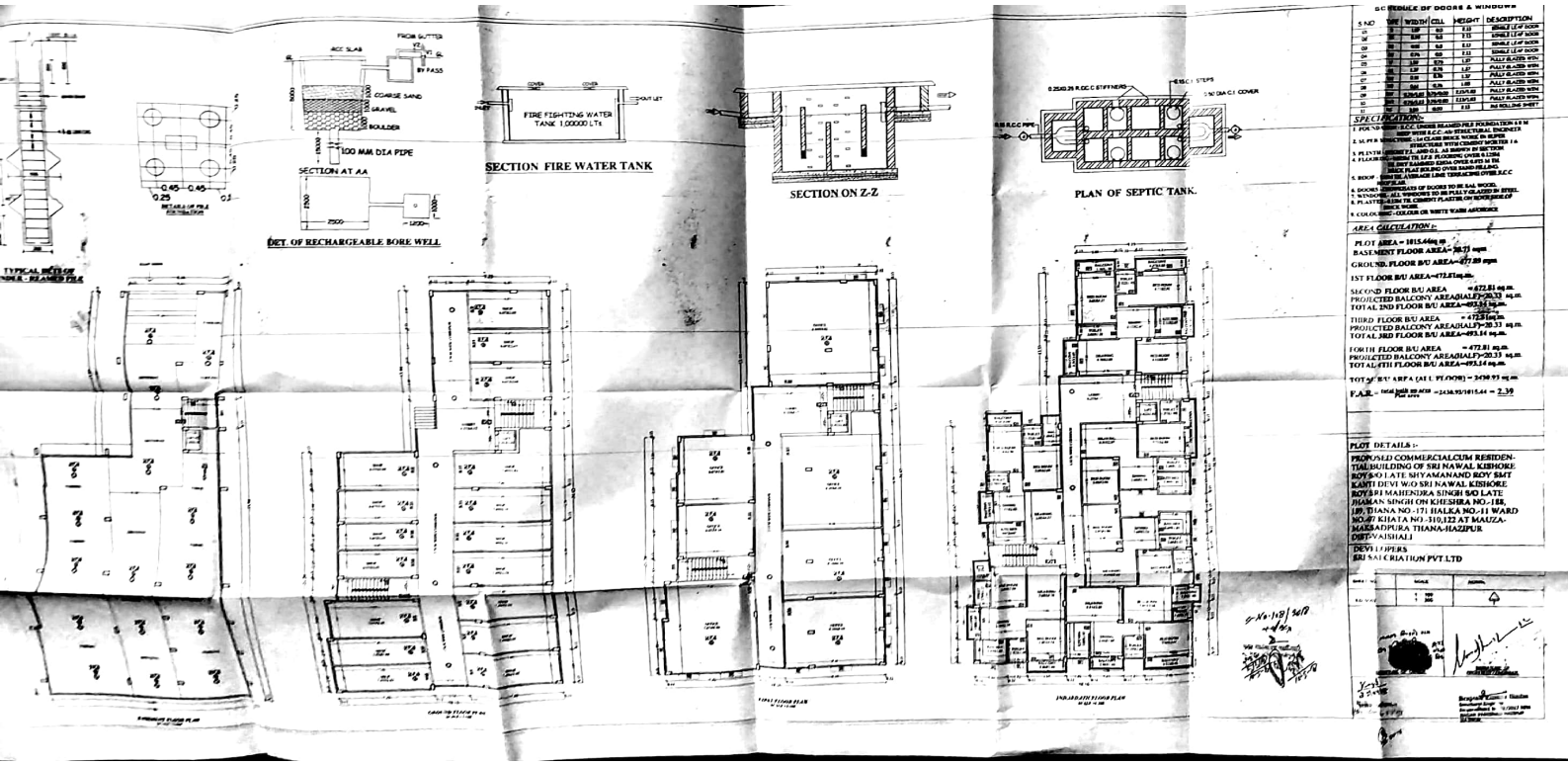

Scanned by CamScanner

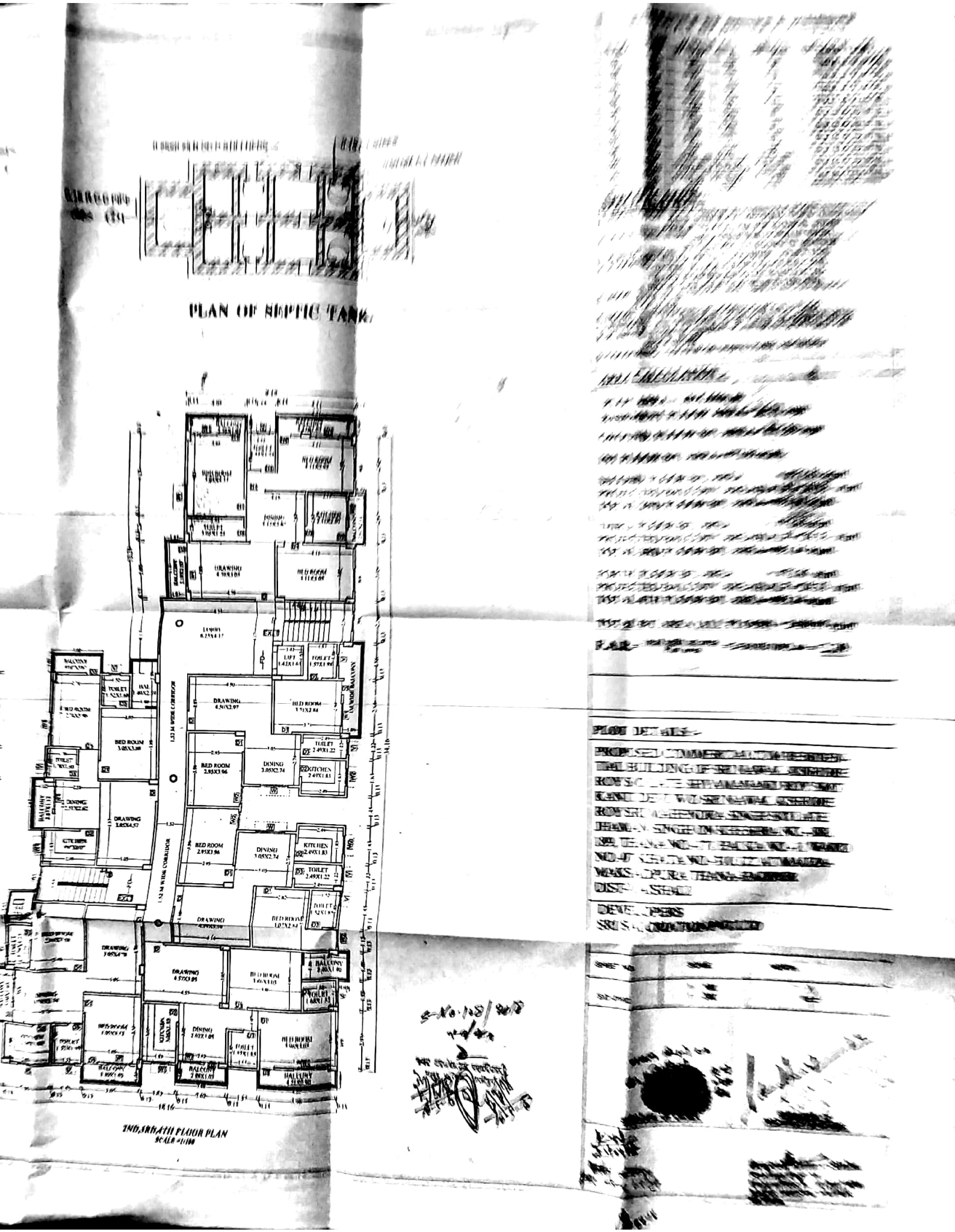

Scanned by CamScanner

SECTION FIRE WATER TANK

SECTION A/A

Scanned by CamScanner